

क्रमांक- 77

पटना, दिनांक 18 मार्च 2005

प्रतिनिधि संघिका जिला पदाधिकारी/संघित क्षेत्रीय शिक्षा उच्च निदेशक/संघिका जिला शिक्षा पदाधिकारी/संघित विद्यालय के प्रधान की सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित ।

- 2- शैक्षणिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय द्वारा प्रविष्टि
- 1- दो-का एक चार विद्यालय का निरीक्षण किया जाएगा ।
- 3- निम्नांकित परिस्थितियों में विद्यालय को निम्नलिखित प्रक्रियाएं निरस्त/संश्लेषण लेने की कार्रवाई सरकार द्वारा की जा सकती है:-
- 1. विद्यालय द्वारा विद्यालय के शिक्षक/शिफ्टर कर्मियों को राज्य सरकार के विद्यालय के कर्मियों के समकक्ष वेतन एवं भत्तों का भुगतान नहीं किया जा रहा है अथवा भुगतान में अचूक विचारों को रखा है।
- 2. अनाकस्ति प्रमाणा-पत्र के लिए सम्बन्धित कागजात एवं अभिलेख जमा नहीं किये जाये अथवा प्रास्ताविक स्थिति से भिन्न होने पर,
- 3. विद्यालय में वित्तीय अनियमितता की जा रही हो अथवा जित्त भत्त के लिए राशियाँ की व्यपस्था हो अथवा दूसरे भत्त में व्यय किया जा रहा हो,
- 4. विद्यालय ऐसी गतिविधि में संलग्न हो जो राज्य के हित एवं राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियमों के विरुद्ध हो एवं ऐसी कार्रवाई की जा रही हो, जिसमें समाज में विभिन्न सोसायटियों के बीच कटुता पैदा हो;
- 5. सी0वी0एस0ई0 मापदंड के अनुरूप भवनो में सी0वी0एस0ई0 मापदंड के अनुरूप विद्यालयों की संख्या निर्धारित नहीं किए जाने पर ।

(Signature)
हेमचंद्र दास

सरकार के संयुक्त सचिव ।

क्रमांक

77

पटना, दिनांक 18-3-05

प्रतिनिधि संघिक/निदेशक/मा0शि0/निदेशक/प्रा0शि0/संयुक्त सचिव मानवसंसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनाएं प्रेषित ।

(Signature)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

क्रमांक

77

पटना, दिनांक 18 मार्च 2005

प्रतिनिधि माननीय मंत्री/राज्य मंत्री/प्रा0 एवं मा0, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनाएं प्रेषित ।

(Signature)
सरकार के संयुक्त सचिव ।